भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1489
28 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

1489. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री अरुण कुमार सागर:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री अशोक महादेवराव नेते:
श्री निहाल चन्द चौहान:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) कार्यरत हैं और देश में, विशेषकर दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कुल स्वास्थ्य बजट का मात्रा की दृष्टि से और प्रतिशत के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना व्यय किया गया है;

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार देश में राज्यों हेतु अथवा जिलों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपस में जोड़ने का है ताकि बेहतर समन्वय किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों, प्रशिक्षित पेशेवरों और उपस्करों की कमी है और यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा, पैरा मेडिकल और अन्य कर्मचारियों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए आवश्यक कदमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 के तहत परिभाषित मानदंडों के अनुसार, मैदानी इलाकों में 30,000 की आबादी और पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 की आबादी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक पीएचसी स्थापित किया जा सकता है। शहरी पीएचसी का निर्माण 50,000 की आबादी पर और 2.5-3 लाख की आबादी पर पॉलीक्लिनिक के रूप में किया जा सकता है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। आरएचएस 2021-22 के अनुसार, पीएचसी की कमी के साथ-साथ पीएचसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण आरएचएस 2021-22 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://hmis.mohfw.gov.in/downloadfile?filepath=publications/Rural-Health-Statistics/RHS%202021-22.pdf

(ग) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए मंजूरी प्रदान करती है।
राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है।
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

एनएचएम के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को फ्लेक्सि पूल में निधि आवंटन किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 से एनएचएम के तहत "अस्पताल सुदृढ़ीकरण और नए निर्माण/नवीनीकरण और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों की स्थापना" के तहत स्वीकृतियां अनुलग्नक में हैं।

(च) और (छ): 24.07.2023 की स्थिति के अनुसार, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, मुफ्त और समुदाय के करीब होती हैं, (एबी-एचडब्ल्यूसी) भारत में मौजूदा एसएचसी और पीएचसी का उन्नयन करके कुल 1,60,480 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र कार्यशील किए गए हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए होंगे और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होंगे।

भारत सरकार कई योजनाएं चलाती है जो बड़े पैमाने पर जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अंतर को कम करने ध्यान केंद्रित करती हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 64180 करोड़ रूपए की राशि से पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरूआत की गई है। पीएम-एबीएचआईएम के तहत उपायों में वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढ़ग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार करने हेतु प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थाओं की क्षमताओं के विकास पर बल दिया जाता है।

देश में व्यापक प्राथमिक परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय हेतु सामुदायिक स्तर (प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या) से लेकर जिला स्तर (विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या) तक एक मौजूदा रेफरल तंत्र मौजूद है। एबी-एचडब्ल्यूसी ई-संजीवनी - टेलीपरामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी मध्यम और विशिष्ट परिचर्या केंद्रों के विशेषज्ञों सहित उच्च स्तरीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

आरएचएस 2021-22 के अनुसार, डॉक्टरों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के साथ पीएचसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण आरएचएस 2021-22 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://hmis.mohfw.gov.in/downloadfile?filepath=publications/Rural-Health-Statistics/RHS%202021-22.pdf

एनएचएम के अंतर्गत, राज्यों को देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की छूट दी गई है:
i. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने और आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता।
ii. विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए परक्राम्य (नेगोशिएबल) वेतन की पेशकश करना, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
iii. विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक एनएचएम के तहत अस्पताल सुदृढ़ीकरण और नए निर्माण/नवीकरण और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों की स्थापना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	159.00	2.52	2.00	3.70
2	आंध्र प्रदेश	2,583.25	2,682.25	633.06	315.88
3	अरुणाचल प्रदेश	5,674.45	4,386.79	4,737.52	6,568.85
4	असम	23,425.82	15,546.48	35,925.05	9,521.74
5	बिहार	37,842.57	13,032.84	99,387.56	36,055.09
6	चंडीगढ़	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ	15,047.86	4,106.67	7,789.77	6,970.37
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2.88	-	2.88	-
9	दिल्ली	681.80	172.50	1,399.96	2,285.11
10	गोवा	125.95	54.58	260.26	134.17
11	गुजरात	878.22	564.05	5,028.85	253.57
12	हरियाणा	12,804.52	755.18	8,555.93	8,937.08
13	हिमाचल प्रदेश	3,547.39	3,149.75	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	3,433.33	579.19	1,599.96	498.41
15	झारखंड	2,494.78	2,389.54	9,373.36	3,713.19
16	कर्नाटक	15,324.05	15,833.87	7,613.96	5,158.75
17	केरल	5,897.00	4,539.01	12,709.03	5,319.77
18	लक्षद्वीप	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	25,482.92	14,190.80	19,866.87	22,572.53
20	महाराष्ट्र	55,881.84	21,942.42	61,535.48	24,932.60
21	मणिपुर	2,999.42	683.74	1,796.82	44.62
22	मेघालय	1,656.32	262.55	1,096.27	864.35
23	मिजोरम	35.40	44.42	36.75	14.37
24	नगालैंड	1,074.84	1,370.75	3,073.78	1,138.36
25	ओडिशा	32,846.14	35,621.88	62,574.68	84,110.12
26	पुदुच्चेरी	26.16	1.17	6.36	8.54
27	पंजाब	5,201.90	3,759.31	990.10	40.87
28	राजस्थान	85,616.83	14,112.40	57,577.61	28,782.14
29	सिक्किम	391.84	237.11	52.51	6.44
30	तमिलनाडु	26,196.13	27,738.27	56,033.70	41,677.06
31	तेलंगाना	7,640.83	12,909.19	11,534.19	15,478.29
32	त्रिपुरा	4,998.54	4,206.31	5,149.70	4,185.24
33	उत्तर प्रदेश	124,665.62	12,736.34	42,730.00	18,346.25
34	उत्तराखंड	13,588.14	15,159.27	10,604.54	5,195.83
35	पश्चिम बंगाल	7,984.58	2,217.18	11,212.94	1,899.55
36	लद्दाख	3,125.00	470.95	2,691.15	1,215.87

नोट:

1. उपर्युक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफएमआर के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. जम्मू और कश्मीर राज्य (जम्मू और कश्मीर) को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में पुनर्गठित करने के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को एनएचएम फंड वितरित किए गए।
3. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य का अंशदान और वर्ष की शुरुआत में बकाया शेष राशि की तुलना में व्यय शामिल है।

*****